

(राजनैतिक दलों के लिए वेबसाइट, समाचार – पत्रों/ टी वी में प्रकाशन हेतु)

दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों के आपराधिक पूर्ववृत्त के बारे में घोषणा

(वर्ष 2011 की रिट याचिका (सिविल) सं . 536 ( पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य ) में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 25 सितम्बर , 2018 के निर्णय के अनुसार )

राजनैतिक दल का नाम : राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी

निर्वाचन का नाम : राजस्थान विधानसभा आम चुनाव—2023

राज्य / संघ शासित क्षेत्र का नाम : राजस्थान

1	2	3	4	5		
क्र. सं.	निर्वाचन क्षेत्र का नाम	अभ्यर्थी का नाम	(क) लंबित आपराधिक मामले	(ख) आपराधिक मामलों के लिए दोषसिद्धि के विषय के संबंध में विवरण		
			न्यायालय का नाम, मामले की सं. एवं मामला (मामलों) की स्थिति	संबंधित अधिनियमों की धाराएं और अपराध (धों) का संक्षिप्त विवरण	न्यायालय का नाम आदेश (शों) की तारीख (खें)	अपराध (अपराधों ) और अधिरोपित दण्ड का विवरण
1	123—लोहावट	सत्यनारायण बिश्नोई	एफआईआर नम्बर 178 / 2014, पी.एस. लोहावट न्यायिक मजिस्ट्रेट लोहावट प्रकरण संख्या 486 / 2021	भारतीय दंड संहिता धारा 332, 353 / आईपीसी	लागू नहीं	लागू नहीं
2	123—लोहावट	सत्यनारायण बिश्नोई	एफआईआर नम्बर 279 / 2021, पी.एस. लोहावट न्यायिक मजिस्ट्रेट लोहावट, एफआर नम्बर 46 / 22 द्वारा एफआर प्रस्तुत	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
3	123—लोहावट	सत्यनारायण बिश्नोई	एफआईआर नम्बर 100 / 209, पी.एस. एसीबी पी.एस. जयपुर (अनुसंधान लंबित)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

\*राज्य सभा के निर्वाचन अथवा विधान सभा सदस्यों दवारा, विधान परिषद के निर्वाचन के मामले में, निर्वाचन क्षेत्र के नाम के स्थान पर संबंधित निर्वाचन का उल्लेख करें।

राजनैतिक दल के पदाधिकारी के हस्ताक्षर

नाम और पदनाम  
(हनुमान बेनीवाल)  
अध्यक्ष  
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी